ABLAK GODE SUVAAR-Hindi

अब्लक़ घोड़े सुवार

- क़ुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये 06
- बकरी छुरी की त़रफ़ देख रही थी 20
- ऐबदार जानवरों की तफ़्सील जिन की क़ुरबानी नहीं होती 10
- मख्खी पर रह़म करना बाइसे मग़्फ़िरत हो गया 21
- क़ुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ? 17
- क़स्साब के लिये 20 म-दनी फूल 29
- गोश्त के 22 अज्ज़ा जो नहीं खाए जाते 37

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी र-ज़वी

SC1286

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले जे़ल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्म व ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (اَلْمُسْتَطْرَف ج۱ ص۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

अब्लक़ घोड़े सुवार

येह रिसाला (**अब्लक़ घोड़े सुवार**)

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब या ई-मेइल) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा,

अह़मदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409

E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

अब्लक़ घोड़े सुवार

शैत़ान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला (48 सफ़ह़ात) आख़िर तक पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ कुरबानी के मु-तअ़ल्लिक़ काफ़ी मा'लूमात मिलेंगी ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, राह़ते क़ल्बो सीना, साहि़बे मुअ़त्त़र पसीना صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आफ़िय्यत निशान है : "ऐ लोगो ! बेशक बरोज़े क़ियामत इस की दह्शतों और ह़िसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख़्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ़ पढ़े होंगे ।"

(اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج٥ ص٢٧٧ حدیث٨١٧٥)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

अब्लक़ घोड़े सुवार

ह़ज़रते सय्यिदुना अह़मद बिन इस्ह़ाक़ عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الرَّزَّاق फ़रमाते हैं : मेरा भाई बा वुजूदे ग़ुरबत रिज़ाए इलाही की निय्यत से हर साल ब-क़रह ईद में कुरबानी किया करता था। उस के इन्तिक़ाल

के बा'द मैं ने एक ख़्वाब देखा कि क़ियामत बरपा हो गई है और लोग अपनी अपनी क़ब्रों से निकल आए हैं, यकायक मेरा मर्हूम भाई एक **अब्लक़** (या'नी दो रंगे **चितकुब्रे**) घोड़े पर सुवार नज़र आया, उस के साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे । मैं ने पूछा : يَا اَخِيْ! مَا فَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكَ؟ या'नी ऐ मेरे भाई ! **अल्लाह** तआ़ला ने आप के साथ क्या मुआ़-मला फ़रमाया ? कहने लगा : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने मुझे **बख़्श** दिया । पूछा : किस अ़मल के सबब ? कहा : एक दिन किसी **ग़रीब बुढ़िया** को ब निय्यते सवाब मैं ने एक दिरहम दिया था वोही काम आ गया । पूछा : येह घोड़े कैसे हैं ? बोला : **येह सब मेरी ब-क़रह ईद की क़ुरबानियां हैं और जिस पर मैं सुवार हूं येह मेरी सब से पहली क़ुरबानी है ।** मैं ने पूछा : अब कहां का अ़ज़्म है ? कहा : जन्नत का । येह कह कर मेरी नज़र से ओझल हो गया । (دُرَّةُ النَّاصِحِين ص۲۹۰) **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ **की उन पर रहमत हो और उन के सदक़े हमारी बे हिसाब मग़्फ़िरत हो ।**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"अल्लाह" के चार हुरूफ़ की निस्बत से चार फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم

﴿1﴾ क़ुरबानी करने वाले को क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है (تِرمِذی ج۳ص۱۶۲ حدیث ۱۴۹۸) ﴿2﴾ जिस ने ख़ुश दिली से त़ालिबे सवाब हो कर क़ुरबानी की, तो वोह

आ-तशे जहन्नम से हिजाब (या'नी रोक) हो जाएगी (اَلْمُعْجَمُ الْكَبِير ج٣ ص ٨٤ حديث ٢٧٣٦) ﴾3﴿ ऐ फ़ातिमा ! अपनी कुरबानी के पास मौजूद रहो क्यूं कि इस के ख़ून का पहला क़तरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएंगे (اَلسّنَنُ الْكُبرى لِلْبَيْهَقِى ج٩ ص ٤٧٦ حديث ١٩١٦١) ﴾4﴿ जिस शख़्स में कुरबानी करने की वुस्अत हो फिर भी वोह कुरबानी न करे तो वोह हमारी ईदगाह के क़रीब न आए। (اِبن ماجه ج٣ص٥٢٩ حديث٣١٢٣)

क्या क़र्ज़ ले कर भी कुरबानी करनी होगी ?

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जो लोग कुरबानी की इस्तिताअ़त (या'नी ताक़त) रखने के बा वुजूद अपनी वाजिब कुरबानी अदा नहीं करते, उन के लिये लम्हए फ़िक्रिय्या है, अव्वल येही ख़सारा (या'नी नुक़्सान) क्या कम था कि कुरबानी न करने से इतने बड़े सवाब से महरूम हो गए मज़ीद येह कि वोह गुनाहगार और जहन्नम के ह़क़दार भी हैं। **फ़तावा अम्जदिय्या** जिल्द 3 सफ़हा 315 पर है : "अगर किसी पर कुरबानी वाजिब है और उस वक़्त उस के पास रुपै नहीं हैं तो क़र्ज़ ले कर या कोई चीज़ फ़रोख़्त कर के कुरबानी करे।"

पुल सिरात़ की सुवारी

सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार, **बि इज़्ने** परवर दगार दो आ़लम के मालिको मुख़्तार, शहन्शाहे अबरार صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने खुश्बूदार है : इन्सान **ब-क़रह** ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ को ख़ून बहाने से ज़ियादा प्यारी हो, येह कुरबानी क़ियामत में अपने सींगों

बालों और खुरों के साथ आएगी और क़ुरबानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से पहले **अल्लाह** के हां क़बूल हो जाता है । लिहाज़ा ख़ुश दिली से क़ुरबानी करो । (ترمذی ج۳ ص۱۶۲ حدیث ۱۴۹۸) **मुह़क़्क़िक़े अ़लल इ़त्लाक़, ख़ातिमुल मुह़द्दिसीन**, ह़ज़रते अ़ल्लामा **शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देहलवी** عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : क़ुरबानी, अपने करने वाले के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी जिस से नेकियों का पलड़ा भारी होगा । (اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ٦٥٤) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा अ़ली क़ारी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِى फ़रमाते हैं : फिर उस के लिये सुवारी बनेगी जिस के ज़रीए़ येह शख़्स ब आसानी पुल सिरात़ से गुज़रेगा और उस (जानवर) का हर उ़ज़्व मालिक (या'नी क़ुरबानी पेश करने वाले) के हर उ़ज़्व (के लिये जहन्नम से आज़ादी) का फ़िदया बनेगा ।

(مرقاۃ المفاتیح ج۳ ص۵۷٤ تحت الحدیث ۱۴۷۰ , मिरआत, जि. 2, स. 375)

क़ुरबानी करने वाले बाल नाख़ुन न काटें

मुफ़स्सिरे शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان एक ह़दीसे पाक (जब अ़-शरा आ जाए और तुम में से कोई क़ुरबानी करना चाहे तो अपने बाल व खाल को बिल्कुल हाथ न लगाए) के तह़्त फ़रमाते हैं : ''या'नी जो अमीर वुजूबन या फ़क़ीर नफ़्लन क़ुरबानी का इरादा करे वोह **ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम** का चांद देखने से क़ुरबानी करने तक नाख़ुन बाल और (अपने बदन की) मुर्दार खाल वग़ैरा न काटे न कटवाए ताकि **ह़ाजियों से क़दरे** (या'नी थोड़ी) **मुशा-बहत हो जाए** कि वोह लोग एह़राम में ह़जामत नहीं करा सकते और ताकि क़ुरबानी हर बाल, नाख़ुन

(के लिये जहन्नम से आज़ादी) का फ़िदया बन जाए । येह हुक्म **इस्तिहूबाबी** है वुजूबी नहीं (या'नी वाजिब नहीं, **मुस्तहब** है और हत्तल इम्कान **मुस्तहब** पर भी अमल करना चाहिये अलबत्ता किसी ने बाल या नाखुन काट लिये तो गुनाह भी नहीं और ऐसा करने से कुरबानी में ख़लल भी नहीं आता, कुरबानी दुरुस्त हो जाती है) लिहाज़ा कुरबानी वाले का हजामत न कराना बेहतर है लाज़िम नहीं । **इस से मा'लूम हुवा कि अच्छों की मुशा-बहत** (या'नी नक़्ल) **भी अच्छी है ।**''

ग़रीबों की कुरबानी

मुफ़्ती साहिब رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه मज़ीद फ़रमाते हैं : ''बल्कि जो कुरबानी न कर सके वोह भी इस अ-शरह (या'नी **ज़ुल हिज्जतिल हराम** के इब्तिदाई दस अय्याम) में हजामत न कराए, **ब-क़रह** ईद के दिन बा'दे नमाज़े ईद हजामत कराए तो اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ (कुरबानी का) सवाब पाएगा ।'' (मिरआतुल मनाजीह, जि. 2, स. 370)

मुस्तहब काम के लिये गुनाह की इजाज़त नहीं

याद रहे ! चालीस दिन के अन्दर अन्दर नाखुन तराशना, बग़लों और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना ज़रूरी है 40 दिन से ज़ियादा ताख़ीर गुनाह है चुनान्चे **मेरे आक़ा** आ'ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : येह (या'नी **ज़ुल हिज्जा** के इब्तिदाई दस दिन में नाखुन वग़ैरा न काटने का) हुक्म सिर्फ़ **इस्तिहूबाबी** है, करे तो बेहतर है न करे तो मुज़ा-यक़ा नहीं, न इस

को हुक्म उ़दूली (या'नी ना फ़रमानी) कह सकते हैं, न कुरबानी में नक़्स (या'नी ख़ामी) आने की कोई वजह, बल्कि अगर किसी शख़्स ने 31 दिन से किसी उ़ज़्र के सबब ख़्वाह बिला उ़ज़्र नाख़ुन न तराशे हों कि चांद **ज़िल हिज्जा** का हो गया तो वोह अगर्चे कुरबानी का इरादा रखता हो इस **मुस्तहब** पर अ़मल नहीं कर सकता कि अब दसवीं तक रखेगा तो नाख़ुन तरश्वाए हुए इक्तालीसवां दिन हो जाएगा और चालीस दिन से ज़ियादा न बनवाना गुनाह है । **फ़े'ले मुस्तहब के लिये गुनाह नहीं कर सकता ।**

(मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 353, 354)

कुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये

हर बालिग़, मुक़ीम, मुसल्मान मर्द व औ़रत, मालिके निसाब पर **कुरबानी** वाजिब है । (عالمگیری ج۵ص۲۹۲) **मालिके निसाब** होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े बावन तोले चांदी या उतनी मालिय्यत की रक़म या उतनी मालिय्यत का तिजारत का माल या उतनी मालिय्यत का ह़ाजते अस्लिय्या के इ़लावा सामान हो और उस पर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ या बन्दों का इतना क़र्ज़ा न हो जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाक़ी न रहे । फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام फ़रमाते हैं **ह़ाजते अस्लिय्या** (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उ़मूमन इन्सान को **ज़रूरत** होती है और इन के बिग़ैर गु-ज़रे अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी मह़सूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इ़ल्मे दीन से मु-तअ़ल्लिक़ किताबें, और पेशे से मु-तअ़ल्लिक़ औ़ज़ार

वग़ैरा । **(الھـــدایۃ ج۱ص۹۶)** अगर "ह़ाजते अस्लिय्या" की ता'रीफ़ पेशे नज़र रखी जाए तो बख़ूबी मा'लूम होगा कि "हमारे घरों में बे शुमार चीज़ें" ऐसी हैं कि जो ह़ाजते अस्लिय्या में दाख़िल नहीं चुनान्चे अगर इन की क़ीमत "साढ़े बावन तोला चांदी" के बराबर पहुंच गई तो **क़ुरबानी वाजिब** होगी । **मेरे आक़ा** आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُالرَّحْمٰن से **सुवाल** किया गया कि "अगर ज़ैद के पास मकाने सुकूनत (या'नी रिहाइशी मकान) के इ़लावा दो एक और (या'नी मज़ीद) हों तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी या नहीं ?" **अल जवाब :** वाजिब है, जब कि वोह मकान तन्हा या इस के और माल से ह़ाजते अस्लिय्या से ज़ाइद हो, मिल कर छप्पन रुपै (या'नी इतनी मालिय्यत कि जो साढ़े बावन तोले चांदी के बराबर हो) की क़ीमत को पहुंचे, अगर्चे इन मकानों को किराए पर चलाता हो या ख़ाली पड़े हों या सादी ज़मीन हो बल्कि (अगर) मकाने सुकूनत इतना बड़ा है कि उस का एक ह़िस्सा उस (शख़्स) के जाड़े (या'नी सर्दी और) गरमी (दोनों) की सुकूनत (रिहाइश) के लिये काफ़ी हो और दूसरा ह़िस्सा ह़ाजत से ज़ियादा हो, और इस (दूसरे ह़िस्से) की क़ीमत तन्हा या इसी क़िस्म के (ह़ाजते अस्लिय्या) से ज़ाइद माल से मिल कर निसाब तक पहुंचे, जब भी **क़ुरबानी वाजिब** है ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 361)

वक़्त के अन्दर शराइत पाए गए तो ही कुरबानी वाजिब होगी

माल और दीगर शराइत कुरबानी के अय्याम (या'नी 10 **ज़ुल हिज्जतिल हराम** की सुब्हे सादिक़ से ले कर 12 **ज़ुल हिज्जतिल हराम** के गुरूबे आफ़्ताब तक) में पाए जाएं जभी कुरबानी वाजिब होगी । इस का मस्अला बयान करते हुए **सदरुश्शरीअह, बदरुत्तरीक़ह** हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى "बहारे शरीअत" में फ़रमाते हैं : येह ज़रूर नहीं कि दसवीं ही को कुरबानी कर डाले, इस के लिये गुन्जाइश है कि पूरे वक़्त में जब चाहे करे लिहाज़ा अगर इब्तिदाए वक़्त में (10 **ज़ुल हिज्जा** की सुब्ह) इस का अह्ल न था वुजूब के शराइत नहीं पाए जाते थे और आख़िर वक़्त में (या'नी 12 **ज़ुल हिज्जा** को गुरूबे आफ़्ताब से पहले) अह्ल हो गया या'नी वुजूब के शराइत पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई और अगर इब्तिदाए वक़्त में वाजिब थी और अभी (कुरबानी) की नहीं और आख़िर वक़्त में शराइत जाते रहे तो (कुरबानी) वाजिब न रही ।

(عالمگیری ج۵ص۲۹۳)

"कुरबानी वाजिब है" के बारह हुरूफ़ की निस्बत से कुरबानी के 12 म-दनी फूल

﴾1﴿ बा'ज़ लोग पूरे घर की तरफ़ से सिर्फ़ एक बकरा कुरबान करते हैं

ह़ालां कि बा'ज़ अवक़ात घर के कई अफ़राद साह़िबे निसाब होते हैं और इस बिना पर उन सारों पर क़ुरबानी वाजिब होती है उन सब की त़रफ़ से अलग अलग क़ुरबानी की जाए। एक बकरा जो सब की त़रफ़ से किया गया किसी का भी वाजिब अदा न हुवा कि बकरे में एक से ज़ियादा ह़िस्से नहीं हो सकते किसी एक त़ै शुदा फ़र्द ही की त़रफ़ से बकरा क़ुरबान हो सकता है।

﴿2﴾ गाय (भेंस) और ऊंट में सात क़ुरबानियां हो सकती हैं।

(عالمگیری ج۵ص۳۰۴)

﴿3﴾ **ना बालिग़** की त़रफ़ से अगर्चे वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है (और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं)। बालिग़ औलाद या ज़ौजा की त़रफ़ से क़ुरबानी करना चाहे तो उन से इजाज़त त़लब करे अगर उन से इजाज़त लिये बिग़ैर कर दी तो उन की त़रफ़ से वाजिब अदा नहीं होगा। (**عالمگیری ج۵ص۲۹۳**, बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 428) इजाज़त दो त़रह़ से होती है : (1) **सरा-ह़तन** म-सलन इन में से कोई वाज़ेह़ त़ौर पर कह दे कि मेरी त़रफ़ से क़ुरबानी कर दो (2) **दला-लतन** (UNDER STOOD) म-सलन येह अपनी ज़ौजा या औलाद की त़रफ़ से क़ुरबानी करता है और उन्हें इस का इ़ल्म है और वोह राज़ी हैं।

(फ़तावा अहले सुन्नत ग़ैर मत़्बूआ़)

﴿4﴾ **क़ुरबानी** के वक़्त में क़ुरबानी करना ही लाज़िम है कोई दूसरी चीज़ इस के क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकती म-सलन बजाए क़ुरबानी

के बकरा या उस की क़ीमत स-दक़ा (ख़ैरात) कर दी जाए येह नाकाफ़ी है। (عالمگیری ج۵ص۲۹۳, बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 335)

﴿5﴾ **क़ुरबानी के जानवर की उ़म्र :** "ऊंट" पांच साल का, **गाय** दो साल की, **बकरा** (इस में बकरी, दुम्बा, दुम्बी, और भेड़ (नर व मादा) दोनों शामिल हैं) एक साल का। इस से कम उ़म्र हो तो क़ुरबानी जाइज़ नहीं, ज़ियादा हो तो जाइज़ बल्कि अफ़्ज़ल है। हां दुम्बा या भेड़ का छ महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मा'लूम होता हो तो उस की क़ुरबानी जाइज़ है। (دُرِّمختار ج۹ ص ۵۳۳) याद रखिये ! मुत़्लक़न छ माह के दुम्बे की क़ुरबानी जाइज़ नहीं, इस का इतना फ़रबा (या'नी तगड़ा) और क़द आवर होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर 6 माह बल्कि साल में एक दिन भी कम उ़म्र का दुम्बे या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उस की क़ुरबानी नहीं होगी।

﴿6﴾ **क़ुरबानी** का जानवर बे ऐ़ब होना ज़रूरी है अगर थोड़ा सा ऐ़ब हो (म-सलन कान में चीरा या सूराख़ हो) तो क़ुरबानी मक्रूह होगी और ज़ियादा ऐ़ब हो तो क़ुरबानी नहीं होगी। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 340)

ऐ़बदार जानवरों की तफ़्सील जिन की क़ुरबानी नहीं होती

﴿7﴾ **ऐसा** पागल जानवर जो चरता न हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मग़्ज़ न रहा, (इस की अ़लामत येह है कि वोह दुबले पन की वजह से खड़ा न हो सके) अन्धा या ऐसा काना जिस का काना पन ज़ाहिर हो,

ऐसा बीमार जिस की बीमारी ज़ाहिर हो, (या'नी जो बीमारी की वजह से चारा न खाए) ऐसा लंगड़ा जो ख़ुद अपने पाउं से क़ुरबान गाह तक न जा सके, जिस के पैदाइशी कान न हों या एक कान न हो, वह्शी (या'नी जंगली) जानवर जैसे नीलगाय, जंगली बकरा या ख़ुन्सा जानवर (या'नी जिस में नर व मादा दोनों की अ़लामतें हों) या जल्लाला जो सिर्फ़ ग़लीज़ खाता हो। या जिस का एक पाउं काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की एक तिहाई (1/3) से ज़ियादा कटे हुए हों नाक कटी हुई हो, दांत न हों (या'नी झड़ गए हों), थन कटे हुए हों, या ख़ुश्क हों इन सब की **क़ुरबानी ना जाइज़** है। बकरी में एक थन का ख़ुश्क होना और गाय, भेंस में दो का ख़ुश्क होना, ''ना जाइज़'' होने के लिये काफ़ी है।

(دُرِّمُختار ج۹ ص۵۳۵۔۵۳۷, बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 340, 341)

﴾8﴿ **जिस** के पैदाइशी सींग न हों उस की क़ुरबानी जाइज़ है। और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो क़ुरबानी न होगी और सिर्फ़ ऊपर से टूटे हैं जड़ सलामत है तो हो जाएगी।

(عالمگیری ج۵ ص ۲۹۷)

﴾9﴿ क़ुरबानी करते वक़्त जानवर उछला कूदा जिस की वजह से ऐ़ब पैदा हो गया येह ऐ़ब मुज़िर नहीं या'नी क़ुरबानी हो जाएगी और अगर उछलने कूदने से ऐ़ब पैदा हो गया और वोह छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़ब्ह कर दिया गया जब भी क़ुरबानी हो जाएगी।

(बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 342, دُرِّمُختار و رَدُّالْمُحتار ج۹ ص۵۳۹)

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : उस शख़्स की नाक ख़ाक आलूद हो जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (حاکم)

《10》**बेहतर** येह है कि अपनी क़ुरबानी अपने हाथ से करे जब कि अच्छी त़रह़ ज़ब्ह़ करना जानता हो और अगर अच्छी त़रह़ न जानता हो तो दूसरे को ज़ब्ह़ करने का हुक्म दे मगर इस सूरत में बेहतर येह है कि वक़्ते क़ुरबानी वहां ह़ाज़िर हो ।

(عالمگیری ج۵ص۳۰۰)

《11》**क़ुरबानी** की और उस के पेट में से ज़िन्दा बच्चा निकला तो उसे भी ज़ब्ह़ कर दे और उसे (या'नी बच्चे का गोश्त) खाया जा सकता है और मरा हुवा बच्चा हो तो उसे फेंक दे कि मुर्दार है (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 348) (क़ुरबानी हो गई और उस मरे हुए बच्चे की मां का गोश्त खा सकते हैं)

《12》**दूसरे** से ज़ब्ह़ करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिल कर ज़ब्ह़ किया तो दोनों पर **बिस्मिल्लाह** कहना वाजिब है । एक ने भी जान बूझ कर छोड़ दी या येह ख़याल कर के छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली मुझे कहने की क्या ज़रूरत, दोनों सूरतों में जानवर ह़लाल न हुवा ।

(دُرِّمُختار ج ۹ ص ۵۵۱)

ज़ब्ह़ में कितनी रगें कटनी चाहिएं ?

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیْہِ رَحمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : जो रगें ज़ब्ह़ में काटी जाती हैं वोह **चार** हैं । **हुल्क़ूम** येह वोह है जिस में सांस आती जाती है, **मुरी** इस से खाना पानी उतरता है इन दोनों

के अग़ल बग़ल और दो रगें हैं जिन में ख़ून की रवानी है इन को व-दजैन कहते हैं । ज़ब्ह़ की चार रगों में से **तीन** का कट जाना काफ़ी है या'नी इस सूरत में भी जानवर ह़लाल हो जाएगा कि अक्सर के लिये वोही हुक्म है जो कुल के लिये है और अगर चारों में से हर एक का अक्सर हि़स्सा कट जाएगा जब भी ह़लाल हो जाएगा और अगर आधी आधी हर रग कट गई और आधी बाक़ी है तो ह़लाल नहीं ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द : 3, स. 312, 313)

क़ुरबानी का त़रीक़ा

(चाहे क़ुरबानी हो या वैसे ही ज़ब्ह़ करना हो) सुन्नत येह चली आ रही है कि ज़ब्ह़ करने वाला और जानवर दोनों क़िब्ला रू हों, हमारे अ़लाक़े (या'नी पाक व हिन्द) में क़िब्ला मग़रिब (WEST) में है, इस लिये सरे ज़बीह़ा (या'नी जानवर का सर) जुनूब (SOUTH) की त़रफ़ होना चाहिये ताकि जानवर बाएं (या'नी उलटे) पहलू लैटा हो, और उस की पीठ मशरिक़ (EAST) की त़रफ़ हो ताकि उस का मुंह क़िब्ले की त़रफ़ हो जाए, और ज़ब्ह़ करने वाला अपना दायां (या'नी सीधा) पाउं जानवर की गरदन के दाएं (या'नी सीधे) हि़स्से (या'नी गरदन के क़रीब पहलू) पर रखे और ज़ब्ह़ करे और ख़ुद अपना या जानवर का मुंह क़िब्ले की त़रफ़ करना तर्क किया तो मक्रूह है ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 216, 217)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : मुझ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ तुम पर रहमत भेजेगा । (ابن سنی)

क़ुरबानी का जानवर ज़ब्ह करने से पहले येह दुआ पढ़ी जाए

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۷۹﴾ اِنَّ[1] صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۲﴾ لَا[2]

شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ[3] और जानवर की गरदन के क़रीब पहलू पर अपना सीधा पाउं रख कर[4] اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَر ۔ पढ़ कर तेज़ छुरी से जल्द ज़ब्ह कर दीजिये । क़ुरबानी अपनी त़रफ़ से हो तो ज़ब्ह के बा'द येह दुआ पढ़िये : اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ وَحَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم[5] अगर दूसरे की त़रफ़ से क़ुरबानी करें तो مِنِّی के बजाए مِنْ कह कर उस का नाम लीजिये । (ब वक़्ते ज़ब्ह पेट पर घुटना या पाउं न रखिये कि इस त़रह़ बा'ज़ अवक़ात ख़ून के इ़लावा ग़िज़ा भी निकलने लगती है)

म-दनी इल्तिजा : क़ुरबानी में देख कर दुआ पढ़ते वक़्त रिसाले पर नापाक ख़ून न लगने पाए इस का ख़याल फ़रमाइये ।

---

1 : **तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान :** मैं ने अपना मुंह उस की त़रफ़ किया जिस ने आस्मान व ज़मीन बनाए एक उसी का हो कर और मैं मुश्रिकों में नहीं । (پ۷، الانعام ۷۹) 2 : **तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान :** बेशक मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरबानियां और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है जो रब सारे जहान का (پ۸، الانعام ۱۶۲) 3 : उस का कोई शरीक नहीं मुझे येही हुक्म है और मैं मुसल्मानों में हूं । 4 : ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) तेरे ही लिये और तेरी दी हुई तौफ़ीक़ से, **अल्लाह** के नाम से शुरूअ़ **अल्लाह** सब से बड़ा है । 5 : ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तू मुझ से (इस क़ुरबानी को) क़बूल फ़रमा जैसे तूने अपने ख़लील इब्राहीम عَلَیْهِ السَّلَام और अपने ह़बीब मुह़म्मद صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से क़बूल फ़रमाई । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 352)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़्फ़िरत है। (جامع صغیر)

बकरी जन्नती जानवर है

बकरी की इ़ज़्ज़त करो और इस से मिट्टी झाड़ो क्यूं कि वोह जन्नती जानवर है। (اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج١ص٦٩حديث٢٠١)

जानवरों पर रह़्म की अपील

गाय वग़ैरा को गिराने से पहले ही क़िब्ले का **तअ़य्युन** कर लिया जाए, लिटाने के बा'द बिल ख़ुसूस पथरीली ज़मीन पर घसीट कर क़िब्ला रुख़ करना बे ज़बान जानवर के लिये सख़्त अज़िय्यत का बाइ़स है। ज़ब्ह़ करने में इतना न काटें कि छुरी गरदन के मोहरे (हड्डी) तक पहुंच जाए कि येह बे वजह की तक्लीफ़ है फिर जब तक जानवर मुकम्मल त़ौर पर ठन्डा न हो जाए न उस के पाउं काटें न खाल उतारें, ज़ब्ह़ कर लेने के बा'द जब तक रूह़ न निकल जाए छुरी कटे हुए गले पर मस (TOUCH) करें न ही हाथ। बा'ज़ क़स्साब जल्द "ठन्डी" करने के लिये ज़ब्ह़ के बा'द तड़पती गाय की गरदन की ज़िन्दा खाल उधेड़ कर छुरी घोंप कर दिल की रगें काटते हैं, इसी त़रह़ बकरे को ज़ब्ह़ करने के फ़ौरन बा'द बेचारे की गरदन चटख़ा देते हैं, बे ज़बानों पर इस त़रह़ के मज़ालिम न किये जाएं। जिस से बन पड़े उस के लिये ज़रूरी है कि जानवर को बिला वजह ईज़ा पहुंचाने वाले को रोके। अगर बा वुजूदे क़ुदरत नहीं रोकेगा तो ख़ुद भी गुनहगार और जहन्नम का ह़क़दार होगा। **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 1197 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, "**बहारे**

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जो मुझ पर एक दुरूद शरीफ़ पढ़ता है अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस के लिये एक क़ीरात़ अज्र लिखता और क़ीरात़ उहुद पहाड़ जितना है। (عبدالرزاق)

शरीअ़त'' जिल्द 3 सफ़ह़ा 660 पर है : ''जानवर पर ज़ुल्म करना ज़िम्मी काफ़िर पर (अब दुन्या में सब काफ़िर ह़र्बी हैं) ज़ुल्म करने से ज़ियादा बुरा है और ज़िम्मी पर ज़ुल्म करना मुस्लिम पर ज़ुल्म करने से भी बुरा है क्यूं कि जानवर का कोई मुईन व मददगार **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के सिवा नहीं इस ग़रीब को इस ज़ुल्म से कौन बचाए !''

(دُرِّمُختار و رَدُّالْمُحتار ج۹ ص۶۶۲)

मरने के बा'द मज़्लूम जानवर मुसल्लत़ हो सकता है

ज़ब्ह़ करने के बा'द रूह़ निकलने से क़ब्ल छुरियां चला कर बे ज़बान जानवरों को बिला वजह तक्लीफ़ देने वालों को डर जाना चाहिये कहीं मरने के बा'द अ़ज़ाब के लिये येही जानवर मुसल्लत़ न कर दिया जाए। **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 1012 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, **''जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल''** जिल्द 2 सफ़ह़ा 323 ता 324 पर है : इन्सान ने नाह़क़ किसी चौपाए को मारा या उसे भूका प्यासा रखा या उस से त़ाक़त से ज़ियादा काम लिया तो क़ियामत के दिन उस से उसी की मिस्ल बदला लिया जाएगा जो इस ने जानवर पर ज़ुल्म किया या उसे भूका रखा। इस पर दर्जे ज़ैल ह़दीसे पाक दलालत करती है। चुनान्चे रह़मते आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने जहन्नम में एक औ़रत को इस ह़ाल में देखा कि वोह लटकी हुई है और एक बिल्ली उस के चेहरे और सीने को नोच रही है और उसे वैसे ही अ़ज़ाब

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ و الہ وسلم : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फ़िरिश्ते उस के लिये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे । (طبرانی)

दे रही है जैसे उस (ओ़रत) ने दुन्या में क़ैद कर के और भूका रख कर उसे तक्लीफ़ दी थी । इस रिवायत का हुक्म तमाम जानवरों के ह़क़ में आ़म है । (اَلزَّواجِرُج۲ ص۱۷٤)

कर ले तौबा रब की रह़मत है बड़ी
क़ब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد
تُوبُوا اِلَی اللّٰہ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

कुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ?

कुरबानी का जानवर अपने हाथ से ज़ब्ह़ करना अफ़्ज़ल और ब वक़्ते ज़ब्ह़ ब निय्यते सवाबे आख़िरत वहां ह़ाज़िर रहना भी अफ़्ज़ल । मगर इस्लामी बहन सिर्फ़ उसी सूरत में वहां खड़ी हो सकती है जब कि बे पर्दगी की कोई सूरत न हो म-सलन अपने घर की चार दीवारी हो, ज़ाबेह़ (या'नी ज़ब्ह़ करने वाला) मह़रम हो और ह़ाज़िरीन में भी कोई ना मह़रम न हो । हां ग़ैर मह़रम ना बालिग़ लड़का मौजूद हो तो ह़रज नहीं । मह़ज़ ह़ज़्ज़े नफ़्स (या'नी मज़ा लेने) की ख़ातिर ज़ब्ह़ होने वाले जानवर के गिर्द घेरा डालना, उस के चिल्लाने और तड़पने फड़कने से लुत्फ़ अन्दोज़ होना, हंसना, क़ह्क़हे बुलन्द करना और उस का तमाशा बनाना सरासर **ग़फ़्लत** की अ़लामत है । ज़ब्ह़ करते वक़्त या अपनी कुरबानी हो रही हो उस

के पास ह़ाज़िर रहते वक़्त **अदाए सुन्नत** की निय्यत होनी चाहिये और साथ ही येह भी निय्यत करे कि मैं जिस त़रह़ आज राहे ख़ुदा में जानवर क़ुरबान कर रहा हूं, ब वक़्ते ज़रूरत اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ अपनी जान भी क़ुरबान कर दूंगा । नीज़ येह भी निय्यत हो कि जानवर ज़ब्ह़ कर के अपने **नफ़्से अम्मारा** को भी ज़ब्ह़ कर रहा हूं और आयन्दा **गुनाहों** से बचूंगा । ज़ब्ह़ होने वाले जानवर पर रह़म खाए और ग़ौर करे कि अगर इस की जगह **मुझे ज़ब्ह़** किया जा रहा होता और लोग तमाशा बनाते और बच्चे तालियां बजाते होते तो मेरी क्या कैफ़िय्यत होती !

ज़बीह़ा को आराम पहुंचाइये

ह़ज़रते सय्यिदुना शद्दाद बिन औस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि **सय्यिदुल मुर-सलीन, ख़ा-तमुन्नबिय्यीन, जनाबे रह़मतुल्लिल आ-लमीन** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : **अल्लाह** तआ़ला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी को क़त्ल करो तो अह़सन (या'नी बहुत अच्छे) त़रीक़े से क़त्ल करो और जब तुम ज़ब्ह़ करो तो अह़सन (या'नी ख़ूब उ़म्दा) त़रीक़े से ज़ब्ह़ करो और तुम अपनी छुरी को अच्छी त़रह़ तेज़ कर लिया करो और ज़बीह़ा को आराम दिया करो । (صحیح مُسلِم ص۱۰۸۰حدیث۱۹۵۵) ब वक़्ते ज़ब्ह़ रिज़ाए इलाही की निय्यत से जानवर पर रह़म खाना **कारे सवाब** है जैसा कि एक सह़ाबी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ! मुझे बकरी ज़ब्ह़ करने पर रह़म आता है । फ़रमाया : ''अगर उस पर रह़म करोगे **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ भी तुम पर

रहूम फ़रमाएगा ।" (مُسندِ اِمام احمد بن حنبل ج٥ ص ٣٠٤ حديث ١٥٥٩٢)

जानवर को भूका प्यासा ज़ब्ह न करें

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : क़ुरबानी से पहले उसे चारा पानी दे दें या'नी भूका प्यासा ज़ब्ह न करें और एक के सामने दूसरे को न ज़ब्ह करें और पहले से छुरी तेज़ कर लें ऐसा न हो कि जानवर गिराने के बा'द उस के सामने छुरी तेज़ की जाए। (बहारे शरीअ़त, जिल्द : 3, स. 352) यहां एक अ़जीबो ग़रीब **ह़िकायत** मुला-ह़ज़ा हो चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अबू जा'फ़र عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْبَر फ़रमाते हैं : एक बार मैं ने ज़ब्ह के लिये बकरी लिटाई इतने में मश्हूर बुज़ुर्ग ह़ज़रते सय्यिदुना अय्यूब **सख़्तियानी** قُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِى इधर आ निकले, मैं ने छुरी ज़मीन पर डाल दी और गुफ़्त-गू में मश्ग़ूल हुवा, दरीं अस्ना बकरी ने दीवार की जड़ में अपने खुरों से एक गढ़ा खोदा और पाउं से छुरी उस में धकेल दी और उस पर मिट्टी डाल दी ! ह़ज़रते सय्यिदुना अय्यूब सख़्तियानी قُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِى फ़रमाने लगे : अरे देखो तो सही ! बकरी ने येह क्या किया ! येह देख कर मैं ने पुख़्ता अ़ज़्म कर लिया कि अब कभी भी किसी जानवर को अपने हाथ से ज़ब्ह नहीं करूंगा ।

(حیاۃُ الحیوان ج٢ ص٦١)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस ह़िकायत से مَعَاذَاللّٰه येह मुराद नहीं कि ज़ब्ह करना कोई ग़लत काम है । बस इस त़रह़ के वाक़िआ़त

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया। (ابن سنی)

बुज़ुर्गों के ग़-ल-बए ह़ाल पर मब्नी होते हैं। वरना मस्अला येही है कि अपने हाथ से ज़ब्ह़ करना सुन्नत है।

बकरी छुरी की त़रफ़ देख रही थी

सरकारे अबद क़रार, शाफ़ेए रोज़े शुमार, बि इज़्ने परवर दगार दो आ़लम के मालिको मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم एक आदमी के क़रीब से गुज़रे, वोह बकरी की गरदन पर पाउं रख कर छुरी तेज़ कर रहा था और बकरी उस की त़रफ़ देख रही थी, आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने उस से इर्शाद फ़रमाया : "क्या तुम पहले ऐसा नहीं कर सकते थे ? क्या तुम इसे कई मौतें मारना चाहते हो ? इसे लिटाने से पहले अपनी छुरी तेज़ क्यूं न कर ली ?"

(اَلْمُستَدرَك لِلحاكم ج٥ ص٣٢٧ حديث ٧٦٣٧، اَلسُّنَنُ الكُبرى لِلْبَيْهَقِى ج٩ ص٤٧١ حديث١٩١٤١، مُلْتَقَطًا مِنَ الْحَدِيْثَين)

ज़ब्ह़ के लिये टांग मत घसीटो !

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना **फ़ारूक़े आ'ज़म** رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ने एक शख़्स को देखा जो बकरी को ज़ब्ह़ करने के लिये उसे टांग से पकड़ कर घसीट रहा है, आप رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ने इर्शाद फ़रमाया : तेरे लिये ख़राबी हो, इसे मौत की त़रफ़ अच्छे अन्दाज़ में ले कर जा।

(مُصَنَّف عَبد الرَّزّاق ج٤ ص٣٧٦ حديث ٨٦٣٦)

मख़्खी पर रह़्म करना बाइसे मग़्फ़िरत हो गया

किसी ने ख़्वाब में **हुज्जतुल इस्लाम** ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम मुह़म्मद बिन मुह़म्मद बिन मुह़म्मद ग़ज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى को देख कर पूछा : مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ या'नी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने आप के साथ क्या मुआ़-मला फ़रमाया ? जवाब दिया : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने मुझे बख़्श दिया, पूछा : मग़्फ़िरत का क्या सबब बना ? फ़रमाया : एक **मख़्खी** सियाही (INK) पीने के लिये मेरे क़लम पर बैठ गई, मैं लिखने से रुक गया यहां तक कि वोह फ़ारिग़ हो कर उड़ गई । (لطائف المِنَن وَالْاَخلاق لِلشَّعرانى ص٣٠٥)

मख़्खी को मारना कैसा ?

याद रहे ! मख़्खियां तंग करती हों तो उन को मारना जाइज़ है ताहम जब भी हुसूले नफ़्अ़ या दफ़्ए़ ज़रर (या'नी फ़ाएदा ह़ासिल करने या नुक़्सान ज़ाइल करने) के लिये मख़्खी या किसी भी बे ज़बान की जान लेनी पड़े तो उस को आसान से आसान त़रीक़े पर मारा जाए ख़्वाह म ख़्वाह उस को बार बार ज़िन्दा कुचलते रहने या एक वार में मार सकते हों फिर भी ज़ख़्म खा कर पड़े हुए पर बिला ज़रूरत ज़र्बें लगाते रहने या उस के बदन के टुकड़े टुकड़े कर के उस को तड़पाने वग़ैरा से गुरेज़ किया जाए। अक्सर बच्चे नादानी के सबब च्यूंटियों को कुचलते रहते हैं उन को इस से रोका जाए। च्यूंटी बहुत कमज़ोर होती है चुटकी में उठाने या हाथ या झाड़ू से हटाने से उ़मूमन ज़ख़्मी हो जाती है, मौक़अ़ की मुना-सबत से उस पर फूंक मार कर भी काम चलाया जा सकता है ।

कुरबानी में अ़क़ीक़े का हिस्सा

कुरबानी की गाय या ऊंट में अ़क़ीक़े का हिस्सा हो सकता है। (رَدُّالْمُحتار ج ۹ ص ۵۴۰)

इज्तिमाई कुरबानी का गोश्त वज़्न कर के तक़्सीम करना होगा

अगर शिर्कत में गाय की कुरबानी की तो ज़रूरी है कि गोश्त वज़्न कर के तक़्सीम किया जाए, अन्दाज़े से तक़्सीम करना जाइज़ नहीं, करेंगे तो गुनहगार होंगे। बखुशी एक दूसरे को कम ज़ियादा मुआ़फ़ कर देना काफ़ी नहीं। (मुलख़्ख़स अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 335) हां अगर सब एक ही घर में रहते हैं कि मिल कर ही बांटेंगे और खाएंगे या शु-रका अपना अपना हिस्सा लेना नहीं चाहते, ऐसी सूरत में वज़्न करने की ह़ाजत नहीं।

अन्दाज़े से गोश्त तक़्सीम करने के दो ह़ीले

अगर शु-रका अपना अपना हिस्सा ले जाना चाहते हों तो वज़्न करने की मशक़्क़त से बचने के लिये येह **दो ह़ीले** कर सकते हैं : ﴾1﴿ ज़ब्ह़ के बा'द इस गाय का सारा गोश्त एक ऐसे बालिग़ मुसल्मान को हिबा (या'नी तोहूफ़तन मालिक) कर दें जो उन की कुरबानी में शरीक न हो और अब वोह अन्दाज़े से सब में तक़्सीम कर सकता है ﴾2﴿ **दूसरा ह़ीला** इस से भी आसान है जैसा कि फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : गोश्त तक़्सीम करते वक़्त उस में कोई दूसरी जिन्स (म-सलन कलेजी मग़्ज़ वग़ैरा) शामिल की जाए तो भी अन्दाज़े से तक़्सीम कर सकते हैं। (دُرِّمُختار ج ۹ ص ۵۲۷) अगर कई चीज़ें डाली हैं तो हर एक में

से टुकड़ा टुकड़ा देना लाज़िमी नहीं । गोश्त के साथ सिर्फ़ एक चीज़ देना भी काफ़ी है । म-सलन, तिल्ली, कलेजी, सिरी पाए डाले हैं तो गोश्त के साथ किसी को तिल्ली दे दी, किसी को कलेजी का टुकड़ा, किसी को पाया, किसी को सिरी । अगर सारी चीज़ों में से टुकड़ा टुकड़ा देना चाहें तब भी ह़रज नहीं ।

कुरबानी के गोश्त के तीन ह़िस्से

कुरबानी का गोश्त ख़ुद भी खा सकता है और दूसरे शख़्स ग़नी (या'नी मालदार) या फ़क़ीर को दे सकता है खिला सकता है बल्कि इस में से कुछ खा लेना क़ुरबानी करने वाले के लिये मुस्तह़ब है । बेहतर येह है कि गोश्त के तीन ह़िस्से करे एक ह़िस्सा फ़ु-क़रा के लिये और एक ह़िस्सा दोस्त व अह़बाब के लिये और एक ह़िस्सा अपने घर वालों के लिये । (عالمگیری ج۵ص۳۰۰) अगर सारा गोश्त ख़ुद ही रख लिया तब भी कोई गुनाह नहीं । **मेरे आक़ा** आ'ला ह़ज़रत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : तीन ह़िस्से करना सिर्फ़ **इस्तिह़बाबी** अम्र है कुछ ज़रूरी नहीं, चाहे तो सब अपने सर्फ़ (या'नी इस्ति'माल) में कर ले या सब अ़ज़ीज़ों क़रीबों को दे दे, या सब मसाकीन को बांट दे ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 253)

वसिय्यत की कुरबानी के गोश्त का मस्अला

मन्नत या मर्ह़ूम की वसिय्यत पर की जाने वाली क़ुरबानी का सब गोश्त फ़ु-क़रा और मसाकीन को स-दक़ा करना वाजिब है न ख़ुद खाए न मालदारों को दे । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 345)

छ सुवालात व जवाबात

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अब **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 112 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, **''चन्दे के बारे में सुवाल जवाब''** सफ़ह़ा 84 ता 88 से ''छ सुवालात व जवाबात'' मुला-ह़ज़ा हों। येह हर इदारे बल्कि हर मुसल्मान के लिये मुफ़ीद ही नहीं मुफ़ीद तरीन हैं।

चन्दे की रक़म से इज्तिमाई क़ुरबानी के लिये गाएं ख़रीदना

सुवाल: मज़्हबी या फ़लाह़ी इदारे के **चन्दे** की रक़म से **इज्तिमाई क़ुरबानी** के लिये बेचने के वासित़े गाएं ख़रीदी जा सकती हैं या नहीं ?

जवाब: चन्दे की रक़म कारोबार में लगाना जाइज़ नहीं। इस के लिये चन्दा देने वाले से सरा-ह़तन या'नी साफ़ लफ़्ज़ों में इजाज़त लेनी ज़रूरी है। (जो इस की इजाज़त दे तो सिर्फ़ उसी के चन्दे की रक़म जाइज़ कारोबार में लगाई जा सकती है यूंही बिला इजाज़ते मालिक उस के दिये हुए चन्दे की रक़म क़र्ज़ देने की भी इजाज़त नहीं)

ग़ु-रबा को खालें लेने दीजिये

सुवाल: अगर कोई शख़्स हर साल ग़रीबों को खाल देता हो, उस पर **इन्फ़िरादी कोशिश** कर के अपने मद्रसे या दीगर दीनी

कामों के लिये **खाल** लेना और ग़रीबों को महरूम कर देना कैसा है ?

जवाबः अगर वाक़ेई कोई ऐसा ग़रीब **मुस्तहिक़** आदमी है जिस का गुज़ारा उसी **खाल** या ज़कात व फ़ित्रा पर मौकूफ़ है तो अब उस को मिलने वाले इन अ़तिय्यात की अपने इदारे के लिये तरकीब कर के उस ग़रीब को महरूम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। (और अगर उन ग़रीबों का गुज़ारा खाल वग़ैरा पर मौकूफ़ न हो तो खाल का मालिक जिस मसरफ़ में चाहे दे सकता है म-सलन दीनी मद्रसे को दे दे) मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत**, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : अगर कुछ लोग अपने यहां की खालें ह़ाजत मन्द यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों को देना चाहें कि इन की सूरते ह़ाजत रवाई येही हो, उसे कोई वाइ़ज़ (या'नी वा'ज़ कहने वाला) या मद्रसे वाला रोक कर मद्रसे के लिये ले ले तो येह उस का **ज़ुल्म** होगा। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم (मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 501)

खालों के लिये बे जा ज़िद मत कीजिये

सुवालः अगर कोई शख़्स अहले सुन्नत के किसी मद्रसे या किसी ग़रीब मुसल्मान को खाल देने का वा'दा कर चुका हो उस को **ब इस्रार** अपने इदारे म-सलन **दा'वते इस्लामी** के लिये खाल देने पर आमादा करना कैसा ?

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जो मुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा। (کنز العمال)

जवाब: ऐसा न करे कि यूं आपस में अ़दावत व मुना-फ़रत का सिलसिला होगा, फ़ितनों, ग़ीबतों, चुग़लियों, बद गुमानियों, इल्ज़ाम तराशियों और दिल आज़ारियों वग़ैरा गुनाहों के दरवाज़े खुलेंगे। मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत**, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द 21 सफ़ह़ा 253 पर फ़रमाते हैं : मुसल्मानों में बिला वजहे शर-ई इख़्तिलाफ़ व फ़ितना पैदा करना नयाबते शैतान है। (या'नी ऐसे लोग इस मुआ़-मले में शैतान के नाइब हैं) ह़दीसे पाक में है : "फ़ितना सो रहा है उस के जगाने वाले पर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की ला'नत।"

(اَلْجامِعُ الصَّغِير لِلسُّيُوطی ص۳۷۰ حدیث ۵۹۷۵)

सुन्नी मदारिस की खालें मत काटिये

सुवाल: अगर कोई कहे कि मैं हर साल फ़ुलां सुन्नी इदारे को **खाल** देता हूं। उस को येह समझाना कैसा कि इस साल हमारे दीनी इदारे म-सलन **दा'वते इस्लामी** को खाल दे दीजिये।

जवाब: अगर वोह साह़िब किसी ऐसी जगह **खाल** देते हैं जो कि उस का सह़ीह़ मसरफ़ है तो उस इदारे को मह़रूम कर के अपनी तन्ज़ीम के लिये खाल ह़ासिल कर लेना उस इदारे वालों के लिये सदमे का बाइ़स होगा, यूं आपस में कशीदगी पैदा होगी लिहाज़ा हर उस काम से इज्तिनाब कीजिये जिस

से मुसल्मानों में बाहम रन्जिशें हों **मुसल्मानों को नफ़रत व वह्शत से बचाना बहुत ज़रूरी है।** जैसा कि हुज़ूरे अकरम, **नूरे मुजस्सम**, शाहे बनी आदम, **रसूले मुह्तशम** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शादे मुअ़ज़्ज़म है : بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا ـ या'नी **ख़ुश ख़बरी सुनाओ और** (लोगों को) **नफ़रत न दिलाओ।** (صَحیح بُخاری ج۱ص ٤٢ حدیث ٦٩)

सुन्नी मद्रसे को खाल ख़ुद दे आइये

सुवाल: अगर कहीं **दा'वते इस्लामी** के लिये खाल लेने पहुंचे, उस ने एक हमें दी और एक **खाल** बचा कर रखते हुए कहा कि येह अहले सुन्नत के फुलां दारुल उ़लूम को देनी है। आप आधे घन्टे के बा'द मा'लूम कर लीजिये अगर वोह लेने न आएं तो येह खाल भी आप ही ले लीजिये। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब: येह ज़ेहन में रहे कि क़ुरबानी की खालें इकठ्ठी करना **दा'वते इस्लामी** का "मक़्सद" नहीं "ज़रूरत" है। **दा'वते इस्लामी** का एक मक़्सद **नेकी की दा'वत** आ़म करने की ग़रज़ से नफ़रतें मिटाना और मुसल्मानों के दिलों में **महब्बतों** के चराग़ जलाना भी है। तमाम **सुन्नी इदारे** एक त़रह से **दा'वते इस्लामी** ही के इदारे हैं और **दा'वते इस्लामी** तमाम **सुन्नी इदारों** की अपनी अपनी और अपनी सुन्नतों भरी तह़रीक है।

मुम्किना सूरत में **अच्छी अच्छी निय्यतें** कर के आप ख़ुद उस सुन्नी दारुल उ़लूम को **खाल** पहुंचा दीजिये । इस त़रह़ اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ मुसल्मानों का दिल भी ख़ुश करने की सआ़दत ह़ासिल होगी । ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मुस्त़फ़ा जाने रह़मत, शम्ए़ बज़्मे हिदायत صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **"फ़राइज़ के बा'द सब आ'माल में अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को ज़ियादा प्यारा मुसल्मान का दिल ख़ुश करना है ।"** (اَلْمُعْجَمُ الْكَبِير لِلطَّبَرانی ج۱۱ص۵۹حدیث۱۱۰۷۹)

अपनी क़ुरबानी की खाल बेच दी तो ?

सुवाल: किसी ने अपनी क़ुरबानी की **खाल** बेच कर रक़म ह़ासिल कर ली अब वोह **मस्जिद में** दे सकता है या नहीं ?

जवाब: यहां निय्यत का ए'तिबार है । अगर अपनी **क़ुरबानी की खाल** अपनी ज़ात के लिये रक़म के इ़वज़ बेची तो यूं बेचना भी ना जाइज़ है और येह रक़म इस शख़्स के ह़क़ में **माले ख़बीस** है और इस का स-दक़ा करना वाजिब है लिहाज़ा किसी शर-ई फ़क़ीर को दे दे । और तौबा भी करे और अगर किसी कारे ख़ैर के लिये म-सलन **मस्जिद** में देने ही की निय्यत से बेची तो बेचना भी जाइज़ है और अब **मस्जिद** में देने में कोई ह़रज (भी) नहीं ।

क़स्साब के लिये 20 म-दनी फूल

﴾1﴿ पहले किसी माहिर गोश्त फ़रोश की निगरानी में ज़ब्ह़ वग़ैरा का काम सीख ले कि उस ना तजरिबा कार के लिये येह काम जाइज़ नहीं जिस की वजह से किसी के जानवर के गोश्त और खाल वग़ैरा को उ़र्फ़ व आ़दत (या'नी आ़म मा'मूल और दस्तूर) से हट कर नुक़्सान पहुंचता हो।

﴾2﴿ माहिर गोश्त फ़रोश को भी चाहिये कि जल्द बाज़ी या ला परवाही के सबब खाल में उ़र्फ़ व आ़दत से ज़ाइद गोश्त न लगा रहने दे, इसी त़रह़ छीछड़े उतारने में भी एह़तियात़ से काम ले कि इस में ख़्वाह म ख़्वाह बोटी और चरबी न चली जाए। नीज़ खाई जाने वाली हड्डियां वग़ैरा भी फेंकने के बजाए टुकड़े बना कर गोश्त ही में डाल दे और माहिर गोश्त फ़रोश को भी उ़र्फ़ व आ़दत से हट कर गोश्त या खाल को नुक़्सान पहुंचाना जाइज़ नहीं।

﴾3﴿ ब-क़रह ईद में उ़मूमन बड़े जानवर का भेजा और ज़बान वग़ैरा निकाल कर सिरी का बक़िय्या ह़िस्सा और पाए के खुर फेंक दिये जाते हैं, इसी त़रह़ बकरे के सिरी पाए के भी खाए जाने वाले बा'ज़ अज्ज़ा ख़्वाह म ख़्वाह ज़ाएअ़ कर दिये जाते हैं ऐसा न किया जाए अगर ख़ुद खाना नहीं चाहते तो किसी ग़रीब मुसल्मान को बुला कर एह़तिराम के साथ दीजिये कि इस त़रह़ के काफ़ी अफ़राद इन दिनों गोश्त और

चरबी वग़ैरा की तलाश में फिर रहे होते हैं। नीज़ येह भी याद रखिये कि बड़े जानवर के सिरी पाए मुकम्मल चमड़े समेत अस्ल खाल से जुदा कर लेने की वजह से खाल की क़ीमत में कमी आती है।

﴾4﴿ आ़म दिनों में पूंछ का गोश्त दूसरे गोश्त के साथ वज़्न में बेचा जाता है जब कि क़ुरबानी के जानवर की पूंछ उ़मूमन खाल में ही जाने देते हैं उस से इस का गोश्त ज़ाएअ़ हो जाता है, बल्कि बड़े जानवर में से बा'ज़ अवक़ात खाल समेत पूंछ काट कर फेंक देते हैं, येह त़रीक़ा भी ग़लत़ है, इस त़रह़ करने से खाल की क़ीमत में भी कमी आती है।

﴾5﴿ जिन मुल्कों में खाल काम में ले ली जाती है (म-सलन पाक व हिन्द में) वहां उ़र्फ़ से हट कर ख़्वाह म ख़्वाह ऐसी जगह "कट" लगा देना जाइज़ नहीं जिस से खाल की क़ीमत में कमी आ जाए। गोश्त फ़रोशों को चाहिये कि जिस त़रह़ अपने ज़ाती जानवर की खाल संभाल संभाल कर उधेड़ते हैं, दूसरों के मुआ़-मले में भी इसी त़रह़ करें।

﴾6﴿ दुम्बे की चक्की की खाल उधेड़ने में इस बात का ख़याल रखिये कि चरबी खाल में बाक़ी न रहे।

﴾7﴿ छीछड़े और चरबी एक त़रफ़ जम्अ़ कर के आख़िर में छीछड़ों की आड़ में चरबी भी उठा ले जाना **धोका** और **चोरी** है। पूछ कर भी

न लें कि "सुवाल" है और बिला ह़ाजते शर-ई सुवाल जाइज़ नहीं। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जो शख़्स ह़ाजत के बिग़ैर लोगों से सुवाल करता है वोह मुंह में अंगारे डालने वाले की त़रह़ है। **(شُعَبُ الْاِیمان ج۳ص۲۷۱ حدیث ۳۵۱۷)**

﴿8﴾ बसा अवक़ात क़ुरबानी के जानवर में से बोटी का बेहतरीन गोल लोथड़ा चुपके से टोकरी में सरका लिया जाता है येह साफ़ साफ़ **चोरी** है। बिला इजाज़ते शर-ई मांग कर लेना भी दुरुस्त नहीं। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم **है :** "जो माल में इज़ाफ़े के लिये लोगों से सुवाल करता है वोह अंगारे मांगता है, अब उस की मरज़ी है कि अंगारे कम जम्अ़ करे या ज़ियादा।" **(مُسلِم ص۵۱۸حدیث ۱۰۴۱)** हां अगर लोगों में गोश्त बांटा जा रहा है और गोश्त फ़रोश ने भी लेने के लिये हाथ बढ़ा दिया तो ह़रज नहीं।

﴿9﴾ गोश्त का हर वोह ह़िस्सा जो आ़म दिनों में इस्ति'माल में लिया जाता है, क़ुरबानी के दिनों में भी काम में लिया जाए। फेफड़े और चरबी वग़ैरा के टुकड़े कर के गोश्त के साथ तक़्सीम कर देना मुनासिब है, इस त़रह़ की चीज़ों को फेंका न जाए अगर ख़ुद खाना या गोश्त के साथ तक़्सीम करना नहीं चाहते तो यूं भी हो सकता है कि जो ज़रूरत मन्द लेना चाहे उसे बुला कर दे दिया जाए या किसी के ह़वाले कर दिया जाए कि किसी ज़रूरत मन्द को दे दे बल्कि एह़तियात़ इसी में है कि ख़ुद ही किसी मुसल्मान के ह़वाले कर

दीजिये। येह मस्अला याद रहे कि ग़ैर मुस्लिम भंगियों वग़ैरा को खाल तो क्या एक बोटी भी क़ुरबानी के गोश्त में से देना जाइज़ नहीं।

﴾10﴿ अगर जानवर के गले में रस्सी, नथ, चमड़े का पट्टा, घुंगुरू, हार वग़ैरा है तो इन सब को छुरी से जूं तूं काट कर नहीं बल्कि क़ाइदे के मुत़ाबिक़ खोल कर निकाल लेना चाहिये ताकि नापाक न हों। बिग़ैर निकाले ज़ब्ह़ करने की सूरत में येह चीज़ें ख़ून आलूद हो जाती हैं और मस्अला येह है कि बिला ह़ाजत किसी पाक चीज़ को क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) नापाक करना **ह़राम** है। बिलफ़र्ज़ नापाक हो भी जाएं तब भी उन को फेंक न दिया जाए, पाक कर के ख़ुद इस्ति'माल में लाएं या किसी मुसल्मान को दे दें। याद रखिये ! तज़्यीए़ माल (या'नी माल ज़ाएअ़ करना) ह़राम है।

﴾11﴿ छुरी फेरने से क़ब्ल जानवर के गले की खाल नर्म करने के लिये अगर पाक पानी के बरतन में नापाक ख़ून वाला हाथ डाल कर चुल्लू भरा तो चुल्लू का और उस बरतन का तमाम पानी नापाक हो गया। अब येह पानी गले पर मत डालिये। इस का आसान सा ह़ल येह है कि जिन का जानवर है उसी से कहिये वोह पाक साफ़ पानी का गिलास भर कर अपने हाथ से जानवर के गले पर डालिये मगर येह एह़तियात़ की जाए कि गिलास से पानी डालने या छिड़कने के दौरान बीच में न कोई अपना ख़ून आलूद हाथ डालिये न ही पानी वाले गले पर ख़ून वाला हाथ मले येह बात सिर्फ़ क़ुरबानी के लिये ख़ास नहीं, जब भी ज़ब्ह़ करें इस का ख़याल रखिये।

﴾12﴿ ज़ब्ह़ के बा'द ख़ून आलूद छुरी और उसी ख़ून से लिथड़े हुए हाथ धोने के लिये पानी की बाल्टी में डाल देने से छुरी और हाथ पाक नहीं होते उल्टा बाल्टी का सारा पानी भी नापाक हो जाता है । अक्सर इसी त़रह़ के नापाक पानी से खाल उधेड़ने में भी मदद ली जाती है और येही पानी गोश्त के अन्दरूनी ह़िस्से में जम्अ़ शुदा ख़ून धोने के लिये भी बहाया जाता है गोश्त के अन्दर का ख़ून पाक होता है मगर नापाक पानी बहाने के सबब येह नुक़्सान होता है कि येह नापाक पानी जहां जहां से गुज़रता है गोश्त के पाक ह़िस्से को भी नापाक करता चला जाता है । ऐसा मत कीजिये ।

﴾13﴿ अजीर गोश्त फ़रोश के लिये येह ज़रूरी है कि ब-क़रह ईद के उ़र्फ़ व आ़दत (या'नी दस्तूर) के मुत़ाबिक़ क़ुरबानी के गोश्त की बोटियां बना कर दे । बा'ज़ क़स्साब जल्द बाज़ी के सबब गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े बनाते, नलियां भी सह़ीह़ से तोड़ कर नहीं देते और सिरी पाए भी साबित छोड़ कर चल देते हैं, ऐसा न किया करें । इस त़रह़ क़ुरबानी करवाने वाले सख़्त आज़माइश में आ जाते हैं और बसा अवक़ात सिरी पाए वग़ैरा फेंकने पड़ जाते हैं । बा'ज़ लोग सब्र करने के बजाए क़स्साब को बुरे बुरे अल्क़ाब और गालियों से नवाज़ते और ख़ूब गुनाहों भरी बातें करते हैं । हां, इजारा करते वक़्त क़स्साब ने कह दिया हो कि सिरी पाए बना कर नहीं दूंगा तो अब साबित छोड़ने में कोई ह़रज नहीं ।

﴾14﴿ बा'ज़ क़स्साब हिर्स के सबब बहुत ज़ियादा जानवर "बुक" कर लेते हैं और एक जगह छुरी फेर कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उधर गला काट कर पहली जगह वापस आ कर खाल उधेड़ने लगते हैं और अब दूसरी जगह वाले "इन्तिज़ार" की आग में सुलगते हैं। इस त़रह़ लोग बहुत तक्लीफ़ में आते, बातें बनाते, क़स्साब को बुरा भला कहते हैं और फिर कई गुनाहों के दरवाज़े खुलते हैं। क़स्साबों को चाहिये कि काम उतना ही लें जितना सलीक़े के साथ कर सकें और किसी को शिकायत का मौक़अ़ न मिले।

﴾15﴿ क़स्साब को चाहिये कि गोश्त बनाते वक़्त ह़राम अज्ज़ा जुदा कर के फेंक दे। जिसे गोश्त खाना हो उस पर ज़बीह़ा की **ह़राम** चीज़ों की शनाख़्त फ़र्ज़ और **मक्रूहे तह़रीमी** अज्ज़ा की पहचान वाजिब है ताकि गुनाहों भरी चीज़ें न खा डाले। (गोश्त के न खाए जाने वाले अज्ज़ा का बयान आगे आ रहा है)

﴾16﴿ गोश्त फ़रोश को चाहिये कि क़ुरबानी के दिनों में पैसे कमाने की हिर्स के सबब शरीअ़त की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुए 100 जानवर ग़लत सलत़ काट कर अपनी आख़िरत दाव पर लगाने के बजाए शरीअ़त के मुत़ाबिक़ बेशक सिर्फ़ एक ही जानवर काटे, اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ दोनों जहानों में इस की ख़ूब ब-र-कतें पाएगा कि पैसों के लालच में जल्द बाज़ी की वजह से इस काम में बसा अवक़ात बहुत सारे गुनाह करने पड़ जाते हैं।

﴾17﴿ बा'ज़ गोश्त फ़रोश बेचने के बड़े (और छोटे) जानवर की खाल उतार लेने के बा'द गोश्त के अन्दर मौजूद दिल में कट लगा कर उस में या ख़ून की बड़ी नस में पाइप के ज़रीए पानी चढ़ाते हैं इस त़रह़ करने से गोश्त का वज़्न बढ़ जाता है। इस त़रह़ का गोश्त धोके से बेचना भी ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बा'ज़ मुर्ग़ी का गोश्त बेचने वाले ज़ब्ह़ के बा'द मुर्ग़ी के पर उतार कर पेट की सफ़ाई कर के सिर्फ़ दिल उस में लगा रहने देते और उस मुर्ग़ी को तक़रीबन 15 मिनट के लिये पानी में डाल देते हैं, इस त़रह़ इस के गोश्त का वज़्न तक़रीबन 150 ग्राम बढ़ जाता है। ज़ब्ह़ शुदा कमज़ोर बकरे के ठन्डा होने के बा'द उस की बोंग के ज़रीए गोश्त में मुंह से हवा भर कर गोश्त को फुला देते हैं, गाहक गोश्त ले कर घर पहुंचता है तो हवा निकल चुकी होती है और गोश्त की तह वाली हड्डियां रह जाती हैं। येह भी सरासर धोका है, बिल ख़ुसूस क़ुरबानी के दिनों में वज़्न से बेचे जाने वाले ज़िन्दा बकरों वग़ैरा को बेसन (या'नी चने का आटा) खिला कर ऊपर ख़ूब पानी वग़ैरा पिला कर उन का वज़्न बढ़ा दिया जाता है, ऐसे जानवर भी यूं धोके से बेचना गुनाह है। याद रखिये ! ह़राम कमाई में कोई भलाई नहीं। **फ़रमाने मुस्त़फ़ा** صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस ने ह़राम का एक लुक़्मा खाया उस की चालीस दिन की नमाज़ें क़बूल नहीं की जाएंगी और उस की दुआ़ चालीस दिन तक ना मक़्बूल होगी। (اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج۳ص۵۹۱حدیث۵۸۰۳) मज़ीद एक रिवायत में है : ''इन्सान के पेट में जब **ह़राम का लुक़्मा** पड़ता है, ज़मीन व आस्मान का हर फ़िरिश्ता उस पर उस वक़्त तक ला'नत करता है जब तक कि वोह ह़राम लुक़्मा उस के पेट

में रहे और अगर इसी ह़ालत में मर गया तो उस का ठिकाना जहन्नम होगा।" (مُکاشَفَۃُ الْقُلُوب ص ۱۰)

﴿18﴾ दुरुस्त काम करने में यक़ीनन वक़्त ज़ियादा सर्फ़ होगा, इस पर हो सकता है हमपेशा अफ़्राद मज़ाक़ भी उड़ाएं मगर इस पर सब्र कीजिये, ख़बरदार ! कहीं शैत़ान लड़ाई भिड़ाई में उलझा कर गुनाहों में न फंसा दे !

﴿19﴾ गोश्त का जो ह़िस्सा गोबर या ज़ब्ह़ के वक़्त निकले हुए ख़ून वाला हो जाए, उस को जुदा रखिये और गोश्त के मालिक को बता दीजिये ताकि वोह उसे अलग से पाक कर सके। पकाने में अगर एक भी नापाक बोटी डाल दी तो वोह पूरी देग का क़ोरमा या बिरयानी नापाक कर देगी और उस का खाना ह़राम हो जाएगा। (याद रहे ! ज़ब्ह़ के बा'द गरदन के कटे हुए ह़िस्से पर बचा हुवा ख़ून और गोश्त के अन्दर म-सलन पेट में या छोटी छोटी रगों में जो ख़ून रह जाता है वोह नीज़ दिल, कलेजी वग़ैरा का ख़ून पाक होता है। हां दमे मस्फ़ूह़ या'नी ज़ब्ह़ के वक़्त जो ख़ून बह कर निकल चुका वोह अगर कटे हुए गले वग़ैरा को लग गया तो नापाक कर देगा।)

﴿20﴾ जानवर काटने और कटवाने वाले को चाहिये कि आपस में उजरत त़ै कर लें क्यूं कि मस्अला येह है कि जहां दला-लतन (UNDER STOOD) या'नी अ़लामत से मा'लूम हो, या सरा-ह़तन (या'नी

ख़ुल्लम ख़ुल्ला, ज़ाहिरन) उजरत साबित हो वहां तै़ करना वाजिब है । ऐसे मौक़अ़ पर तै़ करने के बजाए इस त़रह़ कह देना : काम पर आ जाओ देख लेंगे, जो मुनासिब होगा दे देंगे, ख़ुश कर देंगे, ख़र्ची मिलेगी वग़ैरा अल्फ़ाज़ क़त़्अ़न नाकाफ़ी हैं । बिग़ैर तै़ किये उजरत लेना देना गुनाह है, तै़ शुदा से ज़ाइद त़लब करना भी मम्नूअ़ है । हां जहां ऐसा मुआ़-मला हो कि काम करवाने वाले ने कहा : कुछ नहीं दूंगा, उस ने कह दिया : कुछ नहीं लूंगा । और फिर काम करवाने वाले ने अपनी मरज़ी से दे दिया तो इस लेन देन में कोई ह़रज नहीं ।

गोश्त के 22 अज्ज़ा जो नहीं खाए जाते

फ़ैज़ाने सुन्नत जिल्द अव्वल ऊपर से सफ़ह़ा 405 ता 408 पर है : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : ह़लाल जानवर के सब अज्ज़ा ह़लाल हैं मगर बा'ज़ कि ह़राम या मम्नूअ़ या मक्रूह हैं ﴿1﴾ रगों का ख़ून ﴿2﴾ पित्ता ﴿3﴾ फुकना (या'नी मसाना) ﴿4,5﴾ अ़लामाते मादा व नर ﴿6﴾ बैज़े (या'नी कपूरे) ﴿7﴾ गुदूद ﴿8﴾ ह़राम मग़्ज़ ﴿9﴾ गरदन के दो पठ्ठे कि शानों तक खिंचे होते हैं ﴿10﴾ जिगर (या'नी कलेजी) का ख़ून ﴿11﴾ तिल्ली का ख़ून ﴿12﴾ गोश्त का ख़ून कि बा'दे ज़ब्ह़ गोश्त में से निकलता है ﴿13﴾ दिल का ख़ून ﴿14﴾ पित या'नी वोह ज़र्द पानी कि

पित्ते में होता है ﴾**15**﴿ नाक की रत़ूबत कि भेड़ में अक्सर होती है ﴾**16**﴿ पाख़ाने का मक़ाम ﴾**17**﴿ ओझड़ी ﴾**18**﴿ आंतें ﴾**19**﴿ नुत़्फ़ा[1] ﴾**20**﴿ वोह नुत़्फ़ा कि ख़ून हो गया ﴾**21**﴿ वोह (नुत़्फ़ा) कि गोश्त का लोथड़ा हो गया ﴾**22**﴿ वोह कि (नुत़्फ़ा) पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला या बे ज़ब्ह़ मर गया ।

(फ़तावा र-ज़विय्या जि. 20 स. 240, 241)

समझदार क़स्साब बा'ज़ मम्नूआ़ चीज़ें निकाल दिया करते हैं मगर बा'ज़ में इन को भी मा'लूमात नहीं होतीं या बे एह़तियाती बरतते हैं । लिहाज़ा आज कल उ़मूमन ला इ़ल्मी की वजह से जो चीज़ें सालन में पकाई और खाई जाती हैं उन में से चन्द की निशान देही करने की कोशिश करता हूं ।

ख़ून

ज़ब्ह़ के वक़्त जो ख़ून निकलता है उस को ''दमे मस्फ़ूह़'' कहते हैं । येह नापाक होता है इस का खाना **ह़राम** है । बा'दे ज़ब्ह़ जो ख़ून गोश्त में रह जाता है म-सलन गरदन के कटे हुए ह़िस्से पर, दिल के अन्दर, कलेजी और तिल्ली में और गोश्त के अन्दर की छोटी छोटी रगों में येह अगर्चे नापाक नहीं मगर इस ख़ून का भी खाना **मम्नूअ़** है । लिहाज़ा पकाने से पहले सफ़ाई कर लीजिये । गोश्त में कई जगह छोटी छोटी रगों में ख़ून होता है उन की निगह दाश्त काफ़ी मुश्किल है, पकने के बा'द वोह रगें

1 मनी

काली डोरी की त़रह़ हो जाती हैं। ख़ास कर भेजे, सिरी पाए और मुर्ग़ी की रान और पर के गोश्त वग़ैरा में बारीक काली डोरियां देखी जाती हैं खाते वक़्त इन को निकाल दिया करें। **मुर्ग़ी का दिल भी साबित न पकाइये, लम्बाई में चार चीरे कर के इस का ख़ून पहले अच्छी त़रह़ साफ़ कर लीजिये।**

ह़राम मग़्ज़

येह सफ़ेद डोरे की त़रह़ होता है जो कि भेजे से शुरूअ़ हो कर गरदन के अन्दर से गुज़रता हुवा पूरी रीढ़ की हड्डी में आख़िर तक जाता है। माहिर क़स्साब गरदन और रीढ़ की हड्डी के बीच से दो परकाले या'नी दो टुकड़े कर के **ह़राम मग़्ज़** निकाल कर फेंक देते हैं। मगर बारहा बे एह़तियाती की वजह से थोड़ा बहुत रह जाता है और सालन या बिरयानी वग़ैरा में पक भी जाता है। चुनान्चे गरदन, चांप और कमर का गोश्त धोते वक़्त **ह़राम मग़्ज़** तलाश कर के निकाल दिया करें। येह मुर्ग़ी और दीगर परिन्दों की गरदन और रीढ़ की हड्डी में भी होता है, पकाने से क़ब्ल इस को निकालना बहुत मुश्किल है लिहाज़ा खाते वक़्त निकाल देना चाहिये।

पट्ठे

गरदन की मज़बूती के लिये इस की दोनों त़रफ़ पीले रंग के दो लम्बे लम्बे **पट्ठे** कन्धों तक खिचे हुए होते हैं। इन **पट्ठों** का खाना मम्नूअ़ है। गाय और बकरी के तो आसानी से नज़र आ जाते हैं मगर मुर्ग़ी और परिन्दों की गरदन के पट्ठे ब आसानी नज़र नहीं आते, खाते वक़्त ढूंड कर या किसी जानने वाले से पूछ कर निकाल दीजिये।

ग़ुदूद

गरदन पर, ह़ल्क़ में और बा'ज़ जगह चरबी वग़ैरा में छोटी बड़ी कहीं सुर्ख़ और कहीं मटियाले रंग की गोल गोल गांठें होती हैं इन

को अ़-रबी में गुद्दा और उर्दू में **गुदूद** कहते हैं। येह भी मत खाइये, पकाने से पहले ढूंड कर निकाल दीजिये। अगर पके हुए गोश्त में भी नज़र आ जाए तो निकाल दीजिये।

कपूरा

कपूरे को खुस्या, फ़ोता़ या बैदा भी कहते हैं इन का खाना **मक्रूहे तह़रीमी** है। येह बैल, बकरे वग़ैरा (नर या'नी मुज़क्कर) में नुमायां होते हैं। मुर्ग़े (नर) का पेट खोल कर आंतें हटाएंगे तो पीठ की अन्दरूनी सत़्ह़ पर अन्डे की त़रह़ सफ़ेद दो छोटे छोटे बीज नुमा नज़र आएंगे येही **कपूरे** हैं। इन को निकाल दीजिये। **अफ़्सोस !** मुसल्मानों की बा'ज़ होटलों में दिल, कलेजी के इ़लावा बैल, बकरे के कपूरे भी तवे पर भून कर पेश किये जाते हैं ग़ालिबन होटल की ज़बान में इस डिश को ''कटा कट'' कहा जाता है। (शायद इस को ''कटा कट'' इस लिये कहते हैं कि गाहक के सामने ही दिल या कपूरे वग़ैरा डाल कर तेज़ आवाज़ से तवे पर काटते और भूनते हैं इस से ''कटा कट'' की आवाज़ गूंजती है)

ओझड़ी

ओझड़ी के अन्दर ग़लाज़त भरी होती है इस का खाना **मक्रूहे तह़रीमी** है मगर मुसल्मानों की एक ता'दाद है जो आज कल इस को शौक़ से खाती है।

''या रसूलल्लाह आप पर जान कुरबान'' के बाईस हुरूफ़ की निस्बत से कुरबानी की खालें जम्अ़ करने वाले के लिये 22 निय्यतें और एह़तियात़ें

दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : ﴿1﴾ ''मुसल्मान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है।'' (مُعجم کبیر ج٦ ص١٨٥ حدیث ٥٩٤٢)

﴿2﴾ ''अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाख़िल कर देती है।''

(اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج٤ ص٣٠٥ حديث٦٨٩٥)

दो म-दनी फूल : (1) बिग़ैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ-मले ख़ैर का सवाब नहीं मिलता (2) जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना ही सवाब भी ज़ियादा।

﴿1﴾ रिज़ाए इलाही عَزَّوَجَلَّ के लिये अच्छी अच्छी निय्यतें करता हूं ﴿2﴾ हर ह़ाल में शरीअ़त व सुन्नत का दामन थामे रहूंगा ﴿3﴾ क़ुरबानी की खालों के लिये भागदौड़ के ज़रीए़ **दा'वते इस्लामी** के साथ तआ़वुन करूंगा ﴿4﴾ कोई लाख बद सुलूकी करे मगर इज़हारे ग़ुस्सा और ﴿5﴾ बद अख़्लाक़ी से परहेज़ कर के **दा'वते इस्लामी** की नामूस व इ़ज़्ज़त की ह़िफ़ाज़त करूंगा ﴿6﴾ क़ुरबानी की खालों के सबब लाख मस्रूफ़िय्यत हुई बिला उ़ज़्रे शर-ई किसी भी नमाज़ की **जमाअ़त** तो क्या **तक्बीरे ऊला** भी तर्क नहीं करूंगा ﴿7﴾ पाक लिबास मअ़ इमामा शरीफ़ और तहबन्द शोपर वग़ैरा में डाल कर **नमाज़ों** के लिये साथ रखूंगा (ह़स्बे ज़रूरत बस्ते वग़ैरा पर भी रख सकते हैं। इस की ख़ास ताकीद है, क्यूं कि ज़ब्ह़ के वक़्त निकला हुवा ख़ून नजासते ग़लीज़ा और पेशाब की त़रह़ नापाक है और खालें जम्अ़ करने वाले का अपने कपड़े पाक रखना इन्तिहाई दुश्वार है। बहारे शरीअ़त जिल्द 1 सफ़ह़ा 389 पर है : ''**नजासते ग़लीज़ा** का ह़ुक्म येह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़ियादा लग जाए तो उस का पाक करना फ़र्ज़ है, बे पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और क़स्दन पढ़ी तो गुनाह भी हुवा और अगर ब निय्यते **इस्तिख़्फ़ाफ़** (या'नी इस ह़ुक्मे शरीअ़त को हलका जान कर) है तो **कुफ़्र** हुवा और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बे पाक किये नमाज़ पढ़ी तो मक्रूहे तह़रीमी हुई या'नी ऐसी नमाज़ का इआ़दा वाजिब हुवा और

क़स्दन पढ़ी तो गुनहगार भी हुवा और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बे पाक किये नमाज़ हो गई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुई और इस का इआ़दा बेहतर है") ﴾8﴿ मस्जिद, घर, मक्तब और मद्रसे वग़ैरा की दरिय्यों, चटाइयों, कारपेट और दीगर चीज़ें ख़ून आलूद होने से बचाऊंगा (वुज़ूख़ाने के गीले फ़र्श या पाएदान वग़ैरा पर भी ख़ून आलूद पाउं समेत जाने से बचने और वुज़ू करते हुए ख़ूब एह़तियात़ करने की ज़रूरत है वरना नजासत की आलू-दगी और नापाक पानी के छींटों से अपने साथ दूसरों को भी नापाक कर डालने का एह़तिमाल रहेगा) ﴾9﴿ ख़ून आलूद बदबूदार कपड़ों समेत मस्जिद में नहीं जाऊंगा (बदबू न भी आती हो तब भी नापाक बदन या कपड़ा या चीज़ मस्जिद में ले जाना मन्अ़ है । ज़ख़्म फोड़े, कपड़े, इमामे, चादर, बदन या हाथ मुंह वग़ैरा से बदबू आती हो तो तब भी मस्जिद के अन्दर दाख़िल होना ह़राम है । **फ़ैज़ाने सुन्नत** जिल्द अव्वल सफ़ह़ा नीचे से 1217 पर है : मस्जिद को (बद) **बू** से बचाना वाजिब है व लिहाज़ा मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना **ह़राम**, मस्जिद में दिया सलाई (या'नी माचिस की तीली) सुलगाना **ह़राम**, ह़त्ता कि ह़दीस में इर्शाद हुवा : मस्जिद में कच्चा गोश्त ले जाना जाइज़ नहीं । (اِبنِ ماجہ ج۱ ص۴۱۳ حدیث۷۴۸) हालां कि कच्चे गोश्त की (बद) **बू** बहुत **ख़फ़ीफ़** (या'नी हलकी) है) ﴾10﴿ क़लम, रसीद बुक, पेड, गिलास, चाय के पियाले वग़ैरा पाक चीज़ों को नापाक ख़ून नहीं लगने दूंगा (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा जिल्द 4 सफ़ह़ा 585 पर है "पाक चीज़ को (बिला इजाज़ते शर-ई) नापाक करना ह़राम है") ﴾11﴿ जो दूसरे इदारे को खाल देने का वा'दा कर चुका होगा उस को बद अ़ह्दी का मश्वरा नहीं दूंगा (आसान त़रीक़ा येह है कि अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ आप सारा ही साल

मु-तवज्जेह रहिये और ख़ुद ही पहल कर के खाल बुक करवा कर रखिये) ﴾12﴿ अपनी तै़ शुदा खाल अगर किसी सुन्नी इदारे का आदमी लेने नहीं पहुंचा, या ﴾13﴿ ग़-लती से मेरे पास आ गई तो ब निय्यते सवाब उधर दे आऊंगा ﴾14﴿ जो खाल देगा हो सका तो उस को **मक-त-बतुल मदीना** का कोई रिसाला या पेम्फ़लेट तोहूफ़तन पेश करूंगा ﴾15﴿ नीज़ उस को "शुक्रिया, جزاک اللہ" कहूंगा (**फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ या'नी जिस ने लोगों का शुक्रिया अदा न किया उस ने **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का भी शुक्र अदा न किया। (ترمذی ج۳ ص ۳۸٤ حدیث۱۹٦۲)) ﴾16﴿ खाल देने वाले पर इन्फ़िरादी कोशिश कर के उस को सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ और ﴾17﴿ म-दनी क़ाफ़िलों में सफ़र वग़ैरा की रग़बत दिलाऊंगा ﴾18﴿ बा'द में भी उस से राबिता़ रख कर खाल देने के एह़सान के बदले में उसे म-दनी माह़ोल में लाने की कोशिश करूंगा अगर ﴾19﴿ वोह म-दनी माह़ोल में हुवा तो उसे म-दनी क़ाफ़िले का मुसाफ़िर या ﴾20﴿ म-दनी इन्आ़मात का आ़मिल बनाऊंगा या ﴾21﴿ कोई न कोई मज़ीद म-दनी तरकीब करूंगा (ज़िम्मेदारान को चाहिये कि बा'द में वक़्त निकाल कर खाल देने वालों का शुक्रिया अदा करने ज़रूर जाएं नीज़ इन सब मोह़सिनीन को अ़लाक़ाई सत्ह़ पर या जिस त़रह़ मुनासिब हो इकट्ठा कर के मुख़्तसरन नेकी की दा'वत और लंगरे रसाइल वग़ैरा की तरकीब फ़रमाएं। रसाइल की दा'वते इस्लामी के चन्दे से नहीं जुदागाना तरकीब करनी होगी) ﴾22﴿ दूर व नज़्दीक जहां से भी खाल उठाने (या बस्ता या कोई सा काम संभालने) का ज़िम्मेदार इस्लामी भाई हुक्म फ़रमाएंगे, बिला रद्दो कद इता़अ़त करूंगा। (येह **निय्यतें** बहुत कम हैं, इल्मे निय्यत से आशना मज़ीद बहुत सारी **निय्यतें** निकाल सकता है)

एक अहम शर-ई मस्अला

हमेशा क़ुरबानी की खालें और नफ़्ली अ़तिय्यात "**कुल्ली इख़्तियारात**" या'नी किसी भी नेक और जाइज़ काम में ख़र्च कर लिये जाएं इस निय्यत से इ़नायत फ़रमाया करें क्यूं कि अगर मख़्सूस कर के दिया म-सलन कहा कि, "येह **दा'वते इस्लामी** के मद्रसे के लिये है" तो अब मस्जिद या किसी और मद (या'नी उ़न्वान) में इस का इस्ति'माल करना गुनाह हो जाएगा। लेने वाले को भी चाहिये कि अगर किसी मख़्सूस काम के लिये भी चन्दा ले तो एह़तियात़न कह दिया करे कि हमारे यहां म-सलन दा'वते इस्लामी में और भी दीनी काम होते हैं, आप हमें "**कुल्ली इख़्तियारात**" दे दीजिये ताकि येह रक़म दा'वते इस्लामी जहां मुनासिब समझे वहां नेक और जाइज़ काम में ख़र्च करे। याद रहे! चन्दा देने वाला "हां" करे और वोह चन्दे या खाल वग़ैरा का अस्ल मालिक हो तो ही "इजाज़त" मानी जाएगी। लिहाज़ा चन्दा या खाल पेश करने वाले से पूछ लिया जाए कि येह किस की त़रफ़ से है अगर किसी और का नाम बताए तो अब इस का "हां" करना मुफ़ीद न होगा अस्ल मालिक से फ़ोन वग़ैरा के ज़रीए़ राबित़ा करे। (ज़कात और फ़ित्रा देने वाले से कुल्ली इख़्तियारात लेने की ह़ाजत नहीं क्यूं कि येह "शर-ई ह़ीले" के ज़रीए़ इस्ति'माल किये जाते हैं)

फ़ैज़ाने मदीना त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ा पूर, अह़मद आबाद, गुजरात, इन्डिया।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया। (ابن سنی)

म-दनी इल्तिजा : कुरबानी के तफ़्सीली मसाइल बहारे शरीअ़त जिल्द 3 सफ़्ह़ा 337 ता 353 में मुला-ह़ज़ा फ़रमा लीजिये।

रक़्से बिस्मिल की बहारें तो मिना में देखीं
दिले ख़ूंना ब फ़शां का भी तड़पना देखो

(ह़दाइक़े बख़्शिश शरीफ़)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله ! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلصَّمْتُ اَرْفَعُ الْعِبَادَةِ

ख़ामोशी आ'ला द-रजे की इबादत है।

(اَلْجَامِعُ الصَّغِير لِلسُّيُوطى حديث ٥١٥٨)

ताअलिबे ग़मे मदीना व बक़ीअ़ व मग़्फ़िरत व बे ह़िसाब जन्नतुल फ़िरदौस में आक़ा का पड़ोस

21 ज़ी क़ा'दतिल ह़राम 1432 हि.
18 अक्तूबर 2011 सि.ई.

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआ़त, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में **मक-त-बतुल मदीना** के शाएअ़ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोह़फ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़्बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने मह़ल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अ़दद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फ़लेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये।

फ़ेहरिस्त

उ़न्वान	सफ़हा नम्बर	उ़न्वान	सफ़हा नम्बर
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1	मरने के बा'द मज़्लूम जानवर मुसल्लत़ हो सकता है	16
अब्लक़ घोड़े सुवार	1	क़ुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ?	17
चार फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم	2	ज़बीहा को आराम पहुंचाइये	18
क्या क़र्ज़ ले कर भी क़ुरबानी करनी होगी ?	3	जानवर को भूका प्यासा ज़ब्ह न करें	19
पुल सिरात़ की सुवारी	3	बकरी छुरी की त़रफ़ देख रही थी	20
क़ुरबानी करने वाले बाल नाख़ुन न काटें	4	ज़ब्ह के लिये टांग मत घसीटो !	20
ग़रीबों की क़ुरबानी	5	मख्ख़ी पर रह़्म करना बाइ़से मग़्फ़िरत हो गया	21
मुस्तह़ब काम के लिये गुनाह की इजाज़त नहीं	5	मख्ख़ी को मारना कैसा ?	21
क़ुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये	6	क़ुरबानी में अ़क़ीक़े का हिस्सा	22
वक़्त के अन्दर शराइत़ पाए गए तो ही क़ुरबानी वाजिब होगी	8	इज्तिमाई क़ुरबानी का गोश्त वज़्न कर के तक़्सीम करना होगा	22
क़ुरबानी के 12 म-दनी फूल	8	अन्दाज़े से गोश्त तक़्सीम करने के दो ह़ीले	22
ऐ़बदार जानवरों की तफ़्सील जिन की क़ुरबानी नहीं होती	10	क़ुरबानी के गोश्त के तीन हिस्से	23
ज़ब्ह में कितनी रगें कटनी चाहिएं ?	12	वसिय्यत की क़ुरबानी के गोश्त का मस्अला	23
क़ुरबानी का त़रीक़ा	13	छ सुवालात व जवाबात	24
क़ुरबानी का जानवर ज़ब्ह करने से पहले येह दुआ़ पढ़ी जाए	14	चन्दे की रक़म से इज्तिमाई क़ुरबानी के लिये गाएं ख़रीदना	24
म-दनी इल्तिजा	14	गु-रबा को खालें लेने दीजिये	24
बकरी जन्नती जानवर है	15	खालों के लिये बे जा ज़िद मत कीजिये	25
जानवरों पर रह़्म की अपील	15	सुन्नी मदारिस की खालें मत काटिये	26

उ़न्वान	सफ़हा नम्बर	उ़न्वान	सफ़हा नम्बर
सुन्नी मद्रसे को खाल खुद दे आइये	27	गुदूद	39
अपनी क़ुरबानी की खाल बेच दी तो ?	28	कपूरा	40
क़स्साब के लिये 20 म-दनी फूल	29	ओझड़ी	40
गोश्त के 22 अज्ज़ा जो नहीं खाए जाते	37	क़ुरबानी की खालें जम्अ़ करने वाले के लिये 22 निय्यतें और एह़तियातें	40
ख़ून	38	एक अहम शर-ई मस्अला	44
ह़राम मग़्ज़	39	म-दनी इल्तिजा	45
पठ्ठे	39	माख़ज़ व मराजेअ़	47

ماخذ ومراجع

کتاب	مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ
قرآن پاک	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	مراۃ المناجیح	ضیاء القرآن پبلی کیشنز مرکز الاولیاء لاہور
صحیح بخاری	دار الکتب العلمیۃ بیروت	اشعۃ اللمعات	کوئٹہ
صحیح مسلم	دار ابن حزم بیروت	الزواجر عن اقتراف الکبائر	دار المعرفۃ بیروت
سنن ترمذی	دار الفکر بیروت	مکاشفۃ القلوب	دار الکتب العلمیۃ بیروت
سنن ابن ماجہ	دار المعرفۃ بیروت	لطائف المِنَن وَالْاَخلاق	دار الکتب العلمیۃ بیروت
مسند امام احمد	دار الفکر بیروت	درۃ الناصحین	دار الفکر بیروت
السنن الکبری	دار الکتب العلمیۃ بیروت	حیاۃ الحیوان	دار الکتب العلمیۃ بیروت
المستدرک	دار المعرفۃ بیروت	ہدایہ	دار احیاء التراث العربی بیروت
معجم کبیر	دار احیاء التراث العربی بیروت	درمختار وردالمحتار	دار المعرفۃ بیروت
شعب الایمان	دار الکتب العلمیۃ بیروت	عالمگیری	دار الفکر بیروت
الفردوس بماثور الخطاب	دار الکتب العلمیہ بیروت	بہار شریعت	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی
الجامع الصغیر	دار الکتب العلمیۃ بیروت	فتاوٰی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور
مرقاۃ المفاتیح	دار الفکر بیروت	فتاوٰی امجدیہ	مکتبۂ رضویہ باب المدینہ کراچی

पहले कलेजी तनावुल फ़रमाते

सय्यिदुल मुर-सलीन, जनाबे रह़मतुल्लिल आ़-लमीन صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ईदे कुरबान के दिन कुछ न खाते थे, जब तक (ईद की नमाज़ पढ़ कर) वापस तशरीफ़ न ले आते फिर अपनी कुरबानी से (गोश्त) तनावुल फ़रमाते।[1] दूसरी रिवायत में है : अपनी कुरबानी (के गोश्त में) से कलेजी तनावुल फ़रमाते।[2]

ईदे कुरबान की नमाज़ से पहले खाना कैसा ?

❁ मुस्तह़ब येह है कि ईदे कुरबान के दिन सब से पहले कुरबानी का गोश्त खाए[3] ❁ ईदे कुरबान में मुस्तह़ब येह है कि नमाज़ से पहले कुछ न खाए अगर्चे कुरबानी न करें और खा लिया तो मकरूह नहीं।[4]

1: مُسندِ اِمام احمد بن حنبل ج۹ص۱۷حدیث۲۳۰۴۵

2: معرفة السّنن والآثار للبیہقی ج۳ص۳۵حدیث۱۸۸۶

3: البنایة شرح الهدایة ج۳ص۱۲۱

4 : बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 784 मुलख़्ख़सन।